न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 07 / 21 वर्ष 2021

जीसीएम संख्या :–2021 / 100

बउनवानी:–1. नाथी देवी पत्नि पूरणमल माली नि0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. सुशीला पुत्री पूरणमल माली नि0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
3. मन्नी पुत्री पूरणमल माली नि0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. हनुमान पुत्र पूरणमल माली नि0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. केलाश पुत्र पूरणमल माली नि0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
3. रामबिलास पुत्र पूरणमल माली नि0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
4. मुकेश पुत्र पूरणमल माली नि0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
5. सोनू पुत्र पूरणमल माली नि0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
6. सरपंच ग्राम पंचायत, चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व आदेश पत्रावली संख्या 1570 दिनांक 18.11.2017 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा, पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:–1. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील प्रार्थी
2. श्री सुधीर कुमा जैन वकील अप्रार्थी–1
3. श्री सी.एल. लोदवाल वकील अप्रार्थी,2–5

–: निर्णय :– दिनांक 06.01.2022

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के द्वारा पत्रावली संख्या 1570 निर्णय दिनांक 18.11.2017 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी संख्या 1 का पति तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता श्री पूरणमल पुत्र छगनलाल माली निवासी चौथ का बरवाडा के नाम से ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 423 व 426 के निर्णय दिनांक 11.7.2000 की पालना में 10.3.2003 को पटटा जारी किया था जिसकी साईज 122.83 वर्गगज थी। जिसकी सीमाऐ पूर्व –मकान खाम जगदीश माली, पश्चिम–चरपेटवा मकान मोरपाल माली, उत्तर मे मुख्य सड़क मिश्र मार्केट से सती धर्मशाला व दक्षिण मे मिश्रा जी की खातेदारी की भूमि है। उक्त पटटे की भूमि पर बने मकान पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का बराबर बराबर हिस्सा व अधिकार है। प्रार्थीया संख 1 के पति तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता की मृत्यु दिनांक 2.2. 2009 को हो जाने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 हनुमान पुत्र पूरणमल द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27. 7.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के समक्ष स्वंय के नाम आवासीय पटटा नवीनीकरण करने का पेश किया जिसमे विपक्षी संख्या [illegible] विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 का 50 / –रू के स्टाम्प पर सहमति पत्र के साथ ग्राम पंचाय[illegible] किया था जिसमे प्रार्थीगण से किसी भी प्रकार की कोई सहमति नही ली तथ[illegible] के पति के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम देने की [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 पढा लिखा एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने अपनी चालाकी से [illegible] भाईयों से स्टाम्प पर [illegible] कराकर विपक्षी संख्या 1 ने अपनी इच्छा से सहमति पत्र चालाकी[illegible]र्वक तैयार करा लिया [illegible]धार पर प्रार्थीगण को बिना सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये ही चुपचाप अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

(निगरानी संख्या 07/2021 नाथी देवी बनाम हनुमान व अन्य)

चौथ का बरवाडा से सांठ–गांठ कर अपने नाम फर्जी तरीके से दिनांक 18.11.2017 को पटटा जारी करवाया है । उक्त पटटे के मकान पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 का वैधानिक हक होने बाबत अपने शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त पटटा अवैधानिक तथा विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने बाबत कथन किया। ग्राम पंचायत द्वारा भी बिना आपत्ति नोटिस जारी किये एवं बिना मौका निरीक्षण किये एवं सभी प्रभावित पक्षकारान की सहमति लिये बिना ही फर्जी तरीके से उक्त पटटा जारी किया है जिसको खारिज फरमाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी–1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि उक्त पटटा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 से सहमति पत्र लिया गया था। तथा विवादित मकान अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आने के कारण ही उसके नाम पटटा बनाया गया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उक्त पटटा जारी करवाते समय अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हमसे झूठ बोंलकर स्टाम्प पर हमारे हस्ताक्षर करवा लिये गये थे हमने उक्त पटटा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे बनाये जाने बाबत कोई सहमति ग्राम पंचायत को नही दी थी। हमारे द्वारा पूर्व मे सहमति नही दिये जाने के संबंध में इस निगरानी मे शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। क्योकि उक्त पटटे की भूमि पर बने मकान पर प्रार्थीगण एव हम अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 का भी बराबर बराबर हिस्सा है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा हमारे हिस्से की भूमि/मकान पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पटटा जारी कर दिया है जो अवैधानिक होने के कारण खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता पूरणमल के नाम से ग्राम पंचायत की मिसल संख्या 423 व 426 के निर्णय दिनांक 11.7.2000 की पालना में 10.3.2003 को 122.83 वर्गगज भूमि पटटा जारी किया हुआ था तथा पूरणमल की मृत्यु के उपरान्त उक्त पटटे की भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का बराबर हिस्सा बनता है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मकान का पटटा पूर्व में जारी किया जा चुका है तो फिर उस पटटे के स्थान पर मृतक पूरणमल के किसी एक वारिस अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कैसे नवीन पटटा जारी किया जा सकता है। यदि उक्त पटटे के स्थान पर नवीन पटटा ही जारी किया जाना था तो मृतक पूरणमल के सभी वारिसान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर सभी का नाम पटटे पर अंकित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना प्रतीत नही होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि दोनो पक्षो की पुनः सुनवायी कर पूर्व में जारी पटटे पर ही वारिसान के नाम अंकित किया जावे। यदि मृतक पूरणमल के सभी वारिसान अपनी सहमति से किसी एक वारिस के नाम पटटा बनवाना चाहते है तो विधिवत सहमति पत्र लिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर